*गवर्नर का वक्तव्य**

शक्तिकांत दास

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक 3, 4 और 5 फरवरी 2021 को हुई और घरेलू और वैश्विक दोनों स्तर पर, वर्तमान आर्थिक और वित्तीय विकासों पर विचार-विमर्श किया गया। एमपीसी ने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर को 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने के लिए वोट किया। इसने आगामी लक्ष्य के भीतर मुद्रास्फीति को भी बनाए रखने की सुनिश्चितता से सर्वसम्मति से मौद्रिक नीति के निभावकारी रूख को जितना आवश्यक हो - कम से कम चालू वित्त वर्ष और अगले वर्ष में - टिकाऊ आधार पर विकास को पुनर्जीवित करने और COVID-19 के प्रभाव को कम करने के लिए बनाए रखने का निर्णय लिया है। सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 4.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बनी हुई है। रिवर्स रेपो दर 3.35 प्रतिशत पर अपरिवर्तित है।

मैं सबसे पहले एमपीसी के निर्णय लेने की प्रक्रिया और इसकी अंतर्निहित प्रेरणा के व्यापक संदर्भों को संक्षेप में बताना चाहूंगा। पिछले दो महीनों में मुद्रास्फीति की वृद्धि दिसंबर की बैठक के समय की उम्मीद से बेहतर रही है। COVID-19 की अवधि के दौरान पहली बार, मुद्रास्फीति 6 प्रतिशत के ऊपरी सहिष्णुता स्तर से कम हो गई है। आगे जाकर, आगामी महीनों में खाद्य मुद्रास्फीति ट्रेजेक्टरी को आकार देने वाले कारक, जिसमें बाजारों में संभावित बम्पर खरीफ की फसल की आवक, अच्छी रबी की फसल की बढ़ती संभावनाएं, प्रमुख सब्जियों की सर्दियों में बड़ी आपूर्ति और एवियन फ्लू की आशंका पर कमजोर पोल्ट्री मांग शामिल हैं, सभी एक स्थिर निकट-अवधि के दृष्टिकोण के सूचक है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा 7 जनवरी 2021 को जारी जीडीपी के 2020-21 के प्रारंभिक अनुमान एमपीसी के दिसंबर प्रक्षेपण के बहुत करीब पहुंच गए हैं। संवृद्धि पर दृष्टिकोण में काफी सुधार हुआ है, सकारात्मक विकास आवेगों के आधार पर और अधिक व्यापक होते जा रहे हैं, और देश में टीकाकरण कार्यक्रम का रोलआउट महामारी के अंत के लिए अच्छी तरह से बढ़ रहा है। यह देखते हुए कि मुद्रास्फीति सहिष्णुता बैंड के भीतर वापस आ गई है, एमपीसी ने निर्णय किया कि विकास को समर्थन देना, COVID -19 के प्रभाव को आत्मसात करना और अर्थव्यवस्था को उच्च संवृद्धि प्रक्षेपवक्र में वापस लाना समय की जरूरत है।

संवृद्धि और मुद्रास्फीति का आकलन

भारत के साथ-साथ प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में नए साल 2021 को टीकाकरण ड्राइव के साथ एक मजबूत सकारात्मक नोट पर शुरू किया है। COVID-19 के लिए भारत की प्रतिक्रिया हमें महात्मा गांधी के उद्घोषणा के एक अंश की याद दिलाती है कि "अपने मिशन में एक अदम्य विश्वास के साथ दृढ़ आत्माएं इतिहास को बदल सकती हैं"।[1] जबकि वर्ष 2020 ने हमारी क्षमताओं और धीरज का परीक्षण किया, 2021 हमारे इतिहास के पाठ्यक्रम में एक नए आर्थिक युग के लिए मंच स्थापित कर रहा है।

संवृद्धि

महत्वपूर्ण रूप से, एमपीसी की पिछली बैठक के बाद से बहाली के संकेत मजबूत हुए हैं। उच्च आवृत्ति संयोग और समीपस्थ संकेतक बताते हैं कि सामान्यीकरण क्षेत्रों की सूची का विस्तार हो रहा है। रिज़र्व बैंक का सर्वेक्षण पूर्ववर्ती तिमाही में 47.3 प्रतिशत की तुलना में दूसरी तिमाही: 2020-21 में विनिर्माण क्षेत्र में क्षमता उपयोग में 63.3 प्रतिशत सुधार की ओर इशारा करता है। उपभोक्ता विश्वास पुनर्जीवित हो रहा है, और विनिर्माण, सेवाओं और बुनियादी ढांचे की कारोबारी उम्मीदें बरकरार हैं। माल और लोगों की आवाजाही और घरेलू व्यापारिक गतिविधियां तेज गति से बढ़ रही हैं। दिसंबर की तुलना में बिजली और ऊर्जा की मांग आर्थिक गतिविधियों के व्यापक सामान्यीकरण को दर्शाती है, जब कि दूसरी लहर के डर की भी आशंका है। प्रमुख महानगरीय केंद्रों में आवासीय इकाइयों की बिक्री और नए लॉन्च के डेटा, रियल एस्टेट क्षेत्र में एक नए आत्मविश्वास को दर्शाते हैं। विनिर्माण, सेवा और समग्र क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) विस्तार क्षेत्रों में हैं - विनिर्माण

* गवर्नर का वक्तव्य, 5 फरवरी 2021

[1] गांधी,एम.के. (1936). हरजिन, नवंबर 19, 1936, pp. 341-2.

गवर्नर का वक्तव्य

पीएमआई दिसंबर 2020 में 56.4 से बढ़कर जनवरी 2021 में 57.7 और सेवा पीएमआई दिसंबर 2020 में 52.3 से बढ़कर जनवरी 2021 में 52.8 पर पहुंच गया। इसके अलावा, टीकाकरण ड्राइव से संपर्क गहन क्षेत्रों की बहाली और वैश्विक बाजार में भारतीय फार्मा उद्योग के लिए अग्रणी बढ़त बनाने की उम्मीद है। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश हाल के महीनों में बढ़ा है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रभावशाली बहाली में विश्वास को दोहराता है। एक व्यापक बुनियादी ढांचे के पुनरुद्धार से आगे, दैनिक राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की गति बढ़ रही है और 2020-21 में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गति वर्ष-दर-वर्ष दोगुनी हो गई है।

इससे अधिक यह है कि, वाणिज्यिक क्षेत्र में वित्तीय संसाधनों के प्रवाह में सुधार हुआ है, विशेष रूप से गैर-खाद्य बैंक ऋण और वाणिज्यिक पत्र (सीपी) के माध्यम से, आवास वित्त कंपनियों द्वारा ऋण, कॉर्पोरेट बॉन्ड के निजी प्लेसमेंट और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में। इन संसाधनों का कुल प्रवाह इस वर्ष अब तक (15 जनवरी 2021 तक) ₹8.85 लाख करोड़ है जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि में ₹7.97 लाख करोड़ था। रिज़र्व बैंक के नवीनतम बैंक ऋण सर्वेक्षण से पता चलता है कि Q2: 2021-22 तक सभी क्षेत्रों में ऋण की मांग पर विचार में क्रमिक सुधार होगा। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, वास्तविक जीडीपी विकास 2021-22 में 10.5 प्रतिशत पर – पहली छमाही में 26.2 से 8.3 प्रतिशत की रेंज में और तीसरी तिमाही में 6.0 प्रतिशत की दर से अनुमानित है।

केंद्रीय बजट 2021-22 में स्वास्थ्य और कल्याण, बुनियादी ढांचे, नवाचार और अनुसंधान जैसे क्षेत्रों के पुनरुद्धार के लिए एक मजबूत प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। इसका आगे एक व्यापक प्रभाव पड़ेगा, विशेष रूप से निवेश के माहौल को बेहतर बनाने और घरेलू मांग, आय और रोजगार में मजबूती लाने के लिए। आत्मनिर्भर 2.0 और 3.0 (महामारी के चरम के दौरान दिया गया) के तहत निवेश-उन्मुख प्रोत्साहन ने अपने तरीके से काम करना शुरू कर दिया है और सार्वजनिक निवेश की गुणवत्ता के साथ-साथ खर्च की गति में सुधार कर रहा है। दोनों ही मध्यावधि में भारत की विकास क्षमता को पुनः प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेंगे। पूंजीगत व्यय में अनुमानित वृद्धि क्षमता निर्माण और निजी निवेश में भीड़ के लिए अच्छी तरह से बढ़ रही है, जिससे संवृद्धि और व्यय की गुणवत्ता के आसपास विश्वसनीयता बनाने की संभावनाओं में सुधार होता है।

मुद्रास्फीति

जून 2020 से ऊपरी सहिष्णुता सीमा को लगातार अतिक्रमण करने के बाद, सीपीआई मुद्रास्फीति लॉकडाउन अवधि के पश्चात पहली बार दिसंबर में 6 प्रतिशत से नीचे चली गई, जो अनुकूल आधार प्रभावों और प्रमुख सब्जियों की कीमतों में तेज गिरावट के कारण समर्थित थी, जो बाद में नवंबर और दिसंबर के दौरान हेडलाइन मुद्रास्फीति में लगभग 90 प्रतिशत के गिरावट के लिए जिम्मेदार है। दोनों उच्चतर फ्रेश आगमन और सक्रिय आपूर्ति पक्ष हस्तक्षेपों ने इस अनुकूल विकास में योगदान दिया। यह उम्मीद की जाती है कि निकट अवधि में सब्जी की कीमतें नरम रहेंगी, जबकि कुछ प्रमुख खाद्य पदार्थों में दबाव जारी रह सकता है। कोर मुद्रास्फीति का दृष्टिकोण हाल के महीनों में देखे गए लागत-दबाव में वृद्धि से प्रभावित है। केंद्र और राज्यों दोनों में, अप्रत्यक्ष कर के बने रहने से और हाल के महीनों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के कारण पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतें ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर पहुंच गई हैं। औद्योगिक कच्चे माल की कीमतों में तेज वृद्धि के साथ, हाल के महीनों में सेवाओं और विनिर्माण उत्पादों की कीमतों में व्यापक रूप से वृद्धि हुई है। आगे, केंद्र और राज्यों दोनों द्वारा अनुकूल नीतिगत कार्रवाई, यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि सतत चल रहा लागत निर्माण और आगे नहीं बढ़े । इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, सीपीआई मुद्रास्फीति का प्रक्षेपण जोखिम को व्यापक रूप से संतुलित करके ति4: 2020-21 के लिए 5.2 प्रतिशत, एच1: 2021-22 में 5.2 प्रतिशत से 5.0 प्रतिशत, और ति3:2021-22: के लिए 4.3 प्रतिशत पर संशोधित किया गया।

मार्च 2021 तक, सरकार अगले पांच वर्षों के लिए मुद्रास्फीति लक्ष्य की समीक्षा करेगी। COVID-19 की अवधि को छोड़कर, मुद्रास्फीति के लक्ष्य की रूपरेखा निर्मित करने के

गवर्नर का वक्तव्य

बाद से मौद्रिक नीति के लिए साख प्राप्ति और सफलतापूर्वक मूल्य स्थिरता बनाए रखने का अनुभव, आने वाले वर्षों में सुदृढ़ बनाने की जरूरत है हालांकि हम महामारी से बाहर निकलने और COVID दुनिया के बाद के अवसर का लाभ तलाश कर रहे हैं। मूल्य स्थिरता वह नींव है जिस पर अर्थव्यवस्था उच्च वित्तीय बचत और निवेश के एक गुणी चक्र; निवेश और वेतन निर्णयों में फर्मों के लिए अनिश्चितताओं को कम करना; वित्तीय बाजारों में अवधि और जोखिम प्रीमियर को कम करना; और वर्धित बाहरी प्रतिस्पर्धा से अपनी क्षमता तक पहुंचने का प्रयास कर सकती है।

चलनिधि मार्गदर्शन

रिज़र्व बैंक और बाजारों ने महामारी के दौरान सहकारी समाधानों के प्रति एक साझा समझ विकसित की। एक बड़े सरकारी उधार कार्यक्रम को मूल रूप से प्रबंधित किया गया था। कॉरपोरेट बॉन्ड जारी करना रिकॉर्ड स्तर (अप्रैल-दिसंबर 2019 के दौरान ₹4.6 लाख करोड़ की तुलना में अप्रैल-दिसंबर 2020 के दौरान ₹5.8 लाख करोड़) तक पहुंच गया। 2020-21 के दौरान मौद्रिक नीति के संचालन में स्पष्ट आगे का मार्गदर्शन एक अभिनव विशेषता थी। लगातार उच्च मुद्रास्फीति प्रिंट और सरकारी पेपर की बड़ी आपूर्ति के संबंध में बाजारों के असंतोष को संबोधित करते हुए, वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने और प्रतिफल वक्र के क्रमिक विकास को बनाए रखना स्पष्ट रूप से सार्वजनिक वस्तुओं के रूप में माना गया, क्योंकि अर्थव्यवस्था में सभी हितधारकों को यह लाभ प्राप्त होना था। रिज़र्व बैंक के बाजार परिचालन ने अनिश्चितता की आशंकाओं को दूर किया और वित्तीय बाजार के भाव को प्रभावित किया। रिज़र्व बैंक के संचार और कार्रवाईयों से सहमत, बाजार सहभागियों ने भी समान और सहकारी रूप से जवाब दिया, जो आगे के मार्गदर्शन की प्रभावशीलता का प्रमाण है।

रिज़र्व बैंक द्वारा सम्मिलित नीतिगत दरों में कटौती, सक्रिय चलनिधि प्रबंधन और वैश्विक स्पिलओवरों की पृष्ठभूमि के विरुद्ध विनियामक सहिष्णुता और राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के माध्यम से किए गए उपायों से बाजार स्पेक्ट्रम में नीतिगत दरों में कटौती का सुचारू प्रसारण, जोखिम स्प्रेड को कम करना और कॉरपोरेट बॉण्ड बाजार का फिर से शुरुआत सुनिश्चित किया गया। जी-सेक बाजार में, जिसमें जोखिम-मुक्त बेंचमार्क विकसित होता है, आरबीआई की मौद्रिक और चलनिधि प्रबंधन परिचालन की विश्वसनीयता के लिए 5.78 प्रतिशत की रिकॉर्ड भारित औसत लागत और 14.9 वर्षीय की दीर्घित भारित औसत परिपक्वता साक्ष्य रही।

11 जनवरी को, कथित बाजार की इस गलतफहमी के कारण कि रिज़र्व बैंक अपना निभावकारी नीति रुख बदल रहा है, मुद्रा बाजार की दरें और जी-सेक प्रतिफल बढ़ गयी। इस संदर्भ में, यह याद रखना उपयोगी है कि परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो नीलामियां संशोधित चलनिधि प्रबंधन ढांचे के तहत पहले से मुख्य उपकरण के रूप में हमारे लिखतों का भाग है और ये महामारी से पहले सक्रिय उपयोग में थे। वे स्वैच्छिक हैं और, किसी भी मामले में, ओवरनाईट निर्धारित दर प्रतिवर्ती रेपो का अवलंब दैनिक आधार पर उपलब्ध है। परिवर्तनीय प्रतिवर्ती रेपो दर नीलामी दीर्घावधि (14-दिन) के मद्देनजर स्थायी दर प्रतिवर्ती रेपो से अधिक प्रतिफल प्रदान करती है। चलनिधि प्रबंधन का रुख निभावकारी बना हुआ है, जोकि पूर्णतः मौद्रिक नीति के रुख के अनुरूप है। रिज़र्व बैंक प्रणाली में पर्याप्त चलनिधि की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस प्रकार कर्षण प्राप्त करने के लिए बहाली हेतु अनुकूल वित्तीय स्थितियों को बढ़ावा देता है। यहां यह ध्यान देना उचित होगा कि मुद्रा की मांग के कारण आरक्षित धन 14.5 प्रतिशत वर्ष-दर-वर्ष (29 जनवरी, 2021 को) बढ़ा। दूसरी ओर, मुद्रा आपूर्ति (एम 3) 15 जनवरी 2021 को केवल 12.5 प्रतिशत बढ़ी।

नवंबर 2020 की शुरुआत से, टीकाकरण के आशावाद और अतिरिक्त नीति प्रोत्साहन संबंधी समाचार के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है। इन कारकों ने जोखिम वहन क्षमता के लौटने और रिटर्न्स के लिए गहन अनुसंधान को उत्पन्न किया है, जिसके परिणामस्वरूप भारत जैसे ईएमई में पूंजी प्रवाह बढ़ता है और परिणामस्वरूप वित्तीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ जाती है। हालाँकि, आरबीआई ने सहज घरेलू चलनिधि की स्थिति सुनिश्चित करते हुए वैश्विक स्पिलओवरों और परिणामी अस्थिरता से घरेलू वित्तीय बाजारों को बचाने के लिए कदम उठाए हैं।

गवर्नर का वक्तव्य

नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) का दो चरण में सामान्यीकरण - जिसकी मैं घोषणा करने जा रहा हूं - इस संदर्भ में देखने की जरूरत है। हालांकि, प्रणालीगत चलनिधि आगामी वर्ष तक सहज बनी रहेगी। वास्तव में, सीआरआर सामान्यीकरण अतिरिक्त चलनिधि उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न प्रकार के बाजार परिचालन हेतु अवसर प्रदान करता है। इन क्षेत्रों में हमारे प्रयास का अंतर्निहित विषय वित्तीय स्थिरता को खतरे में डाले बिना उचित रूप से हमारे आयुधागार के सभी लिखतों का उपयोग करना होगा, जो कि आरबीआई के नीतिगत उद्देश्यों के मूल में है।

2021-22 के लिए केंद्र का सकल बाजार ऋण ₹12 लाख करोड़ बजट किया गया है। सरकार के ऋण प्रबंधक और बैंकर के रूप में, रिज़र्व बैंक गैर-व्यवधानपूर्ण तरीके से बाज़ार उधार कार्यक्रम को पूरा करना सुनिश्चित करेगा। इस संदर्भ में, हम 2021-22 के दौरान बाजार के खिलाड़ियों और रिज़र्व बैंक के बीच आम समझ और सहकारी दृष्टिकोण की निरंतरता के लिए भी तत्पर हैं।

अतिरिक्त उपाय

इस पृष्ठभूमि में, रिज़र्व बैंक अर्थव्यवस्था से संबंधित उपायों को पुनर्जीवित करने के अपने सर्वोपरि उद्देश्य के साथ दृढ़ रहेगा जो (i) लक्षित क्षेत्रों और तरलता प्रबंधन के लिए तरलता समर्थन को बढ़ाना; (ii) विनियमन और पर्यवेक्षण; (iii) वित्तीय बाजारों को गहन करना; (iv) भुगतान और निपटान प्रणाली का उन्नयन; और (v) उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करने से संबंधित होगा । उपायों का विवरण मौद्रिक नीति वक्तव्य के विकासात्मक और नियामक नीतियों (भाग-बी) पर वक्तव्य में निर्धारित किया गया है।

(i) तरलता के उपाय

मांग के अनुसार (ऑन टैप) योजना पर टीएलटीआरओ - एनबीएफसी का समावेश

विशिष्ट तनावग्रस्त क्षेत्रों, जिनके पास पिछले और आगे दोनों लिंकेज हैं और वृद्धि पर गुणक प्रभाव हैं, में गतिविधि के पुनरुद्धार का समर्थन करने के उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक ने 9 अक्टूबर 2020 को बैंकों के लिए ऑन टैप योजना पर टीएलटीआरओ की घोषणा की थी। यह देखते हुए कि विभिन्न क्षेत्रों में अंतिम मील तक पहुंचने के लिए एनबीएफसी अच्छी तरह से पहचाने जाने वाले कंडेट्स हैं, अब निर्दिष्ट तनाव वाले क्षेत्रों को वृद्धिशील ऋण देने के लिए एनबीएफसी को ऑन टैप योजना पर टीएलटीआरओ के तहत बैंकों से निधि उपलब्ध करने का प्रस्ताव है।

मार्च 2021 से शुरू होने वाले दो चरणों में सीआरआर की बहाली

COVID-19 के कारण होने वाले व्यवधान को खत्म करने के लिए, 26 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले एक वर्ष की अवधि के लिए सभी बैंकों के नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को 100 आधार अंकों से घटाकर 3.0 प्रतिशत कर दिया गया। मौद्रिक और तरलता की स्थिति की समीक्षा पर, यह निर्णय लिया गया है कि 27 मार्च 2021 से सीआरआर को दो चरणों में गैर-विघटनकारी तरीके से धीरे-धीरे 3.5 प्रतिशत पर बहाल किया जाए और 22 मई 2021 से 4.0 प्रतिशत प्रभावी हो। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अतिरिक्त तरलता प्रवेश के लिए सीआरआर सामान्यीकरण रिज़र्व बैंक के विभिन्न बाजार परिचालनों के लिए जगह खोलता है।

सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) – रियायत का विस्तार

27 मार्च 2020 को बैंकों को शुद्ध मांग और मीयादी देयताएँ (एनडीटीएल) के अतिरिक्त एक प्रतिशत, अर्थात कुल मिलाकर एनडीटीएल का 3 प्रतिशत,तक सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) में गिरावट से सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) के तहत धन का लाभ उठाने की अनुमति दी गई थी । यह सुविधा, जिसे 31 मार्च 2021 तक चरणों में विस्तारित किया गया था, अब एक और छह महीने की अवधि के लिए उपलब्ध होगी, अर्थात् 30 सितंबर 2021 तक ताकि बैंकों को अपनी तरलता आवश्यकताओं पर सहूलियत प्रदान की जा सके। यह वितरण ₹1.53 लाख करोड़ तक की राशि तक पहुंच को बढ़ाता है।

(ii) विनियमन और पर्यवेक्षण

परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) में एसएलआर धारिता श्रेणी

1 सितंबर 2020 को, रिजर्व बैंक ने सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) पात्र प्रतिभूतियां जो 1 सितंबर 2020 तक या उसके बाद के 31 मार्च 2022 तक प्राप्त की गईं, के संबंध में

गवर्नर का वक्तव्य

शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के लिए परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी में सीमा को 19.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 22 प्रतिशत कर दिया। यह वितरण 31 मार्च 2022 तक उपलब्ध कराया गया था। 2021-22 के लिए केंद्र और राज्यों के उधार कार्यक्रम के संदर्भ में बाजार सहभागियों को निश्चितता प्रदान करने के लिए, अब बढ़ाए गए 22 प्रतिशत के एचटीएम के वितरण को 31 मार्च 2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है ताकि 1 अप्रैल, 2021 और 31 मार्च, 2022 के बीच प्राप्त की गई प्रतिभूतियों को शामिल किया जा सके । 30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही से शुरू होने वाले चरणबद्ध तरीके से एचटीएम की सीमा को 22 प्रतिशत से 19.5 प्रतिशत तक सीमित किया जाएगा। यह उम्मीद की जाती है कि बैंक एचटीएल सीमाओं की बहाली के लिए स्पष्ट ग्लाइड पथ के साथ एक इष्टतम तरीके से एसएलआर प्रतिभूतियों में अपने निवेश की योजना बनाने में सक्षम होंगे।

एमएसएमई उद्यमियों को ऋण

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के उधारकर्ताओं को नए ऋण प्रवाह को प्रोत्साहित करने के लिए, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सीआरआर की गणना के लिए उनकी शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) से 'नए एमएसएमई उधारकर्ताओं' को संवितरित ऋण में कटौती करने की अनुमति दी जाएगी। इस छूट के उद्देश्य के लिए, 'नए एमएसएमई उधारकर्ता' वे होंगे जिन्होंने 1 जनवरी 2021 को बैंकिंग प्रणाली से कोई ऋण सुविधा नहीं ली है। यह छूट 1 अक्टूबर 2021 को समाप्त होने वाले पखवाड़े तक विस्तारित ऋण के लिए प्रति उधारकर्ता को ₹25 लाख रुपये तक के लिए उपलब्ध होगी। योजना का विवरण परिपत्र में दिया जाएगा।

पूंजी संरक्षण बफर और निवल स्थायी निधियन अनुपात

रिज़र्व बैंक द्वारा विनियामक हस्तक्षेप का जोर वसूली का समर्थन और पोषण करने की ओर बढ़ा है। जबकि महामारी के तत्काल बाद में किए गए कुछ नियामक उपायों को धीरे-धीरे चरणबद्ध किया जा रहा है, बैंकों को वसूली की प्रक्रिया को आवश्यक सहायता प्रदान करना जारी रखने के लिए सक्षम करना आवश्यक है। इसीलिए, पूंजीगत संरक्षण बफर (सीसीबी) के अंतिम ट्रांच को 0.625 प्रतिशत के कार्यान्वयन के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया गया है और 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर 2021 तक छह महीने के लिए निवल स्थायी निधियन अनुपात (एनएसएफ़आर) के कार्यान्वयन को भी स्थगित कर दिया जाए।

माइक्रोफाइनेंस के लिए नियामक ढांचे की समीक्षा

जरूरतमंद खंडों को क्रेडिट के अंतिम वितरण में माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंतिम क्रेडिट की सुपुर्दगी और उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करने के लिए क्षेत्र की विकसित भूमिका और एक मजबूत ढांचे की आवश्यकता के मद्देनजर, रिज़र्व बैंक एक सलाहकार दस्तावेज लेकर आएगा, जो माइक्रोफाइनेंस स्पेस में विभिन्न विनियमित उधारदाताओं (एनबीएफ़सी - माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, लघु वित्त बैंक और एनबीएफसी- निवेश और क्रेडिट कंपनियां) के लिए लागू नियामक ढाँचों के साथ सामंजस्य स्थापित करेगा।

प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों की विशेषज्ञ समिति

प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक क्रेडिट संरचना का एक महत्वपूर्ण खंड हैं। रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करने और वित्तीय समावेशन में गहनता लाने के लिए हाल के दिनों में कई उपाय किए हैं। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के हालिया संशोधनों ने प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों और वाणिज्यिक बैंकों के बीच नियामक और पर्यवेक्षी शक्तियों के साथ-साथ उनमें भी जो अभिशासन, लेखा परीक्षा और संकल्प से संबंधित हैं, में समानता ला दी है। विधायी संशोधनों पर आधारित क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक मध्यावधि रोड मैप प्रदान करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति (ईसी) का गठन किया जाएगा। ईसी के गठन और इसके संदर्भ की शर्तों को जल्द ही घोषित किया जाएगा।

उदारीकृत विप्रेषण योजना के तहत आईएफ़एससी को विप्रेषण

वर्तमान में, निवासी व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफ़एससी) को उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत विप्रेषण करने की अनुमति नहीं है। आईएफ़एससी को और विकसित करने और उन्हें अन्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रों के बराबर लाने के लिए, आईएफ़एससी में अनिवासी संस्थाओं द्वारा

गवर्नर का वक्तव्य

जारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए आईएफ़एससी को प्रेषण करने हेतु निवासी व्यक्तियों को अनुमति देने का प्रस्ताव है। इस विशिष्ट उद्देश्य के लिए, निवासी व्यक्तियों को आईएफ़एससी में एक गैर-ब्याज वाले विदेशी मुद्रा खाता (एफ़सीए) खोलने की अनुमति दी जाएगी।

(iii) वित्तीय बाजार में गहनता लाना

खुदरा निवेशकों को रिज़र्व बैंक में गिल्ट खाते खोलने की अनुमति देना

सरकारी प्रतिभूतियों में खुदरा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार और रिज़र्व बैंक ने कई उपाय किए हैं। इनमें प्राथमिक नीलामी में गैर-प्रतिस्पर्धी बोली आरंभ करना, स्टॉक एक्सचेंजों को प्राथमिक खरीद को रूट करने की अनुमति देना और द्वितीयक बाजार में एक विशिष्ट खुदरा खंड की अनुमति देना शामिल है। इन प्रयासों के अनुक्रम में, यह प्रस्तावित है कि खुदरा निवेशकों को सीधे रिज़र्व बैंक ('रिटेल सीधे') के माध्यम से सरकारी प्रतिभूति बाजार, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों, में ऑनलाइन एक्सेस प्रदान किया जाए। यह निवेशक आधार को व्यापक बनाएगा और खुदरा निवेशकों को सरकारी प्रतिभूति बाजार में भाग लेने के लिए और अधिक एक्सेस प्रदान करेगा। यह एक प्रमुख संरचनात्मक सुधारहै जो भारत को कुछ प्रमुख देशों, जिसमें समान सुविधाएं हैं, के बीच स्थान दिलाएगा। एचटीएम छूट के साथ यह उपाय, 2021-22 में सरकार के उधार कार्यक्रम को सुचारू रूप से पूरा करने की सुविधा प्रदान करेगा।

चूक (डिफॉल्टेड) बॉण्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफ़पीआई) का निवेश

कॉरपोरेट बॉण्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा निवेश को और बढ़ावा देने के लिए, डिफॉल्टेड कॉरपोरेट बॉण्ड में एफपीआई निवेश को अल्पकालिक सीमा और मध्यम अवधि के ढांचे के तहत न्यूनतम अवशिष्ट परिपक्वता आवश्यकता से छूट प्रदान किया जाएगा।

(iv) भुगतान और निपटान प्रणाली

डिजिटल भुगतान सेवाओं के लिए 24x7 हेल्पलाइन की स्थापना

डिजिटल भुगतानों की बढ़ी हुई पैठ और दक्षता के साथ, विभिन्न डिजिटल भुगतान उत्पादों के संबंध में ग्राहक के प्रश्नों को संबोधित करने और उपलब्ध शिकायत निवारण तंत्र की जानकारी देने के लिए एक केंद्रीकृत उद्योग-व्यापी 24x7 हेल्पलाइन की सुविधा के लिए प्रमुख भुगतान प्रणाली परिचालकों की आवश्यकता होगी। । आगे बढ़ते हुए, हेल्पलाइन के माध्यम से ग्राहकों की शिकायतों के निवारण की सुविधा पर विचार किया जाएगा। यह प्रयास उपभोक्ता का डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में विश्वास बढ़ाने के लिए किया गया है।

अधिकृत भुगतान प्रणालियों के परिचालकों और प्रतिभागियों के लिए आउटसोर्सिंग संबंधी दिशानिर्देश

परिचालन जोखिमों के लिए डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के लचीलेपन को लगातार अद्यतन करने की आवश्यकता है। परिचालन जोखिम का एक संभावित क्षेत्र अधिकृत भुगतान प्रणालियों के परिचालकों (पीएसओ) और प्रतिभागियों के लिए आउटसोर्सिंग से जुड़ा हुआ है। आउटसोर्सिंग में परिचर जोखिमों का प्रबंधन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि भुगतान और निपटान संबंधी सेवाओं की आउटसोर्सिंग करते समय आचार संहिता का पालन किया जाता है, रिज़र्व बैंक इन संस्थाओं द्वारा ऐसी सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर दिशानिर्देश जारी करेगा।

सभी बैंक शाखाओं में चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस) समाशोधन

चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस) के कवरेज को सितंबर 2020 तक सभी पारंपरिक समाशोधन गृहों तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि, यह देखा गया है कि लगभग 18,000 बैंक शाखाएं अभी भी किसी भी औपचारिक समाशोधन व्यवस्था से बाहर हैं। अब सितंबर 2021 तक इन सभी शाखाओं को सीटीएस समाशोधन के अंतर्गत लाना प्रस्तावित है। इस उपाय के साथ, देश की सभी

गवर्नर का वक्तव्य

बैंक शाखाएँ सीटीएस के अंतर्गत आ जाएंगी। इससे ग्राहक सुविधा बढ़ेगी और कागज आधारित समाशोधन प्रणाली के लिए परिचालन क्षमता के तहत आ जाएगी।

(v) उपभोक्ता संरक्षण

एकीकृत लोकपाल योजना

वर्तमान में, वैकल्पिक विवाद समाधान की रूपरेखा में बैंकों, एनबीएफसी और गैर-बैंक प्रीपेड भुगतान जारीकर्ताओं (पीपीआई) के लिए तीन अलग-अलग लोकपाल योजनाएं शामिल हैं। ये तीनों योजनाएं रिज़र्व बैंक द्वारा देश भर में स्थित बाईस लोकपाल कार्यालयों से परिचालित की जाती हैं। लोकपाल व्यवस्था को सरल, कुशल और अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए, तीन लोकपाल योजनाओं को एकीकृत करने और 'एक देश एक लोकपाल ' के दृष्टिकोण से शिकायतों के केंद्रीकृत प्रसंस्करण को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य एक केंद्रीकृत संदर्भ बिंदु के साथ, एकीकृत योजना के तहत ग्राहकों को अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम करके शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया को आसान बनाने का है। एकीकृत लोकपाल योजना जून 2021 में शुरू की जाएगी।

निष्कर्ष

निष्कर्ष में, मैं यह कहना चाहूंगा कि आगे बढ़ते हुए, भारतीय अर्थव्यवस्था केवल एक दिशा में बढ़ने के लिए तैयार है और वह ऊपर की ओर है। यह हमारा दृढ़ विश्वास है, पूर्वानुमान द्वारा समर्थित, कि 2021-22 में, हम उस नुकसान को कम कर देंगे जो COVID-19 की वजह से अर्थव्यवस्था को झेलना पड़ा है। बीते वर्ष की अस्त-व्यस्तता और निराशा के बाद, जिससे होकर हम एक साथ गुजरे हैं और आगे बढ़ना जारी रखेंगे, समग्र स्थिति को महात्मा गांधी के शब्दों में सबसे अच्छी तरह से वर्णित किया जा सकता है, "हम कल के असंभव की घटना के दैनिक साक्षी हैं जो आज संभव हो रहा है..."।[2]

धन्यवाद। सुरक्षित रहें। स्वस्थ रहें। नमस्कार।

[2] Mahatma Gandhi; XXVI-68 Epigrams From Gandhiji - Compiled by: S.R. Tikekar First Edition: 1971 Published by: Publications Division Ministry of Information & Broadcasting